1. ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अधिकतर बजट का प्रावधान करना होगा। गांव में पानी के निकास तथा स्वच्छ तथा शौचालय की व्यवस्था करानी होगी। किसानों का खास तौर पर ध्यान देना होगा।

2. बैकवर्ड पिछड़े एरिया को पहचान कर के उसको स्पेशल पैकेज का प्रावधान करना जरूरी है।

3. शिक्षा के क्षेत्र में लंबित योजनाओं को खास कर ग्रामीण क्षेत्र के परिसर वाले प्रोजेक्ट को पूरा करना जरूरी है जैसे केएमवी स्कूल गांव गज्जा, ब्लाक भुंगा, जला होशियारपुर में 2 वर्ष से ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल तो खुल गया, बच्चे पढ़ रहे हैं। 10 एकड़ जमीन पंचायत गज्जा ने केएमवी के नाम भी कर दी है परंतु बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा भारत के लिए पैसा भारत सरकार ने आवंटित ही नहीं किया। सरकार को पिछड़े इलाकों का विशेष ध्यान देना होगा।

4. बुढ़ापा पेंशन की परिभाषा बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि आज बूढ़ों लोगों का जीवन यापन करना अति कठित है। हिंदुस्तान के प्रत्येक 70 वर्ष अथवा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को पेंशन मिलनी चाहिए।

5. शहर में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए छोटी म्युनिस्पल कमेटियों को ताकतवर बनाना होगा। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए तथा उन को सुरक्षा हेतु सख्त कानून तथा तुरंत न्याय दिलवाना होगा। स्वास्थ्य हेतु गरीब परिवारों को अधिक आर्थिक मदद करना जरूरी है। कैंसर होस्पिटल मेरे निर्वाचल क्षेत्र होशियारपुर में अति जरूरी है। पंजाब के मालवा क्षेत्र के मुताबिक गंदे पानी के कारण जिला होशियारपुर में अनगिनत केंसर केसेज हैं जो बिना दवाई के ही ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं।

अंत में, अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहती हूं कि 75% लोग गाँव में रहते है। जिस क्षेत्र का 65 वर्षों में बिल्कुल भी विकास नहीं हुई। सड़कें न के बराबर है जिस कारण यातायात की व्यवस्था नहीं है। यातयात का साधन नहीं होगा तो रोजगार के साधन नहीं होंगे। कृपया आप इन विषनों पर अवश्य ध्यान दीजिए।

सायं 06:00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। अब समय समाप्त हो गया है। 6 बजे प्रधानमंत्री जी का उत्तर आना था। आप बैठ जाइये। मैं आपकी वेदना समझ रही हूं। आप समय का आदर कीजिए, समय का सम्मान कीजिए।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदया में महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके ज्ञानवर्धन अभिभाषण हेतु धन्यवाद देने के लिए इस सम्मानित सभा के सभी सदस्यों के साथ शामिल होने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ज़ोरदार ढंग से और विस्तार से चर्चा हुई है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में योगदान किया।

महोदया जैसा कि माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के आरंभ में उल्लेख किया है पिछले एक वर्ष के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था कठिन स्थितियों से गुजरी है। माननीय सदस्य जानते है कि हमारी वृद्धि धीमी पड़ गई है और वित्तीय निरन्तर समस्या बनी रही हैं। चालू खाता धारा आशा से विपरीत बहुत अधिक है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इन सभी मुद्दों पर चर्चा की है और उसके

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डॉ. मनमोहन सिंह]

पूर्व सभा पटल पर रहने गए आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था की स्थिति को व्यापक तस्वीर मिली है। अत: मैं हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों के संबंध में तथा उनसे निपटने के लिए क्या आवश्यक है उसके संबंध में संक्षेप में कहूँगा।

तथापि महोदया मैं माननीय वित्त मंत्री के विचार का पुरजोर अनुसमर्थन करता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि अर्थव्यवस्था में मंदी बनी रहेगी। आगामी 2 से 3 वर्षों के बीच में हम देश को 7 से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च विकास दर पर लाने में पूर्णतथा सक्षम हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निवेश दर, विशेषकर आधारभूत ढांचे में निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता है। अत: हमारा प्रयास रहेगा कि देश के भीतर बचत को बढ़ाया जाए, राज सहायता में वृद्धि को नियंत्रित किया जाये और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। यद्यपि हमारा लक्ष्य 12वीं योजना के दौरान औसतन 8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद दर और कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने का है तथापि हमारा लक्ष्य समावेशी विकास दर बनाए रखने पर रहेगा। समावेशी विकास दर का अर्थ है न केवल गरीबी को कम करना अपितु राज्यों के भीतर तथा उनमें आपस में क्षेत्रीय समानता को बढ़ाना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का उत्थान, लिंग भेद को दूर करना तथा बेहतर रोजगार के अवसर सृजित करना। हमारी नीतियाँ इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है।

अध्यक्ष महोदया मैंने माननीय श्री रजनीश सिंह जी का भाषण बहुत रूचिपूर्वक सुना और सबसे बेहतर जो मैं कर सकता हूं वह वह कि यूपीए शासन के 9 वर्षों की तुलना एनडीए शासन के छ: वर्षों से था ताकि हमारे देश के लोग इन नौ वर्षों में जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा कर सकें।

महोदया पहले मैं सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि की बात करता हूँ। यदि आप मंदी के वर्तमान समय सहित गत 9 वर्ष की अवधि को देखें तो हमारी विकास दर इन 9 वर्षों में 7.9 प्रतिशत रही हैं। इसके विपरीत राजग के छह वर्ष शासन काल में वृद्धि दर 6% से अधिक नहीं रही।

महोदया यह सच है कि 2012 में वृद्धि धीमी हुई है, अन्य देशों में भी कहीं वृद्धि दर का ग्राफ ऊपर की ओर नहीं है। यूरोप में मंदी है, अमरीका की वृद्धि दर बहुत कम हैं; जापान में स्थिरता है; ब्राजील की वृद्धि दर 2 प्रतिशत से भी कम है औद दक्षिण अफ्रीका की वृद्धि दर 2.3% है। वर्तमान वैश्विक स्थिति के आलोक में हमारी वृद्धि दर प्रभावशाली प्रतीत होती है हालांकि हम इससे संतुष्ट नहीं है।

महोदया वृद्धि प्रक्रिया के समावेशी स्वरूपव का अंदाजा कई तरीकों से लगाया जा सकता है। पहला है हमारे किसानों की सुख समृद्धि, उत्पादन की स्थिति क्या हो यह देखना और जैसा कि मैंने पहले यहा 2004-05 से 2011-12 तक अर्थात यूपीए के कार्यकाल में कृषि उत्पादन तथा संबंधित क्रियाकलाप 3.5% रहे। 1998-99 से 2003-04 के दौरान एनडीए के कार्यकाल में यह वृद्धिदर 2.9% से अधिक नहीं थी। क्योंकि कृषिक में वृद्धि तीव्र दर से हुई है और क्योंकि हमारी सरकार ने अनेक सर्वसमावेशी नीतियाँ लागू की जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम, अत: यूपीए के कार्यकाल से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति उपभोग 3.4% वार्षिक slet हुआ है। एनडीए के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति ग्रामीण उपभोग 0.8 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक की दर से नहीं बढ़ा।

मैं अब कृषि में वास्तविक मजदूरी की बात करूगा। 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी में वार्पिक विकास दर औसतन 6.8% रही है।

महोदया गरीबी के संबंध में गरीबी में 2% वार्षिक की दर से कमी आई। पिछले दस वर्षों के दौरान गिरावट की दर 0.8% से अधिक नहीं थी।

महोदया उद्योग में मंदी से हम सभी चिंतित है, परन्तु जब हम यूपीए सरकार के कार्यकाल के नौ वर्षो की तुलना करें तो हमारी औसत औद्योगिक वृद्धि दर 8.5% है जबकि 1998-99 से 2003-04 के दौरान वह औसत 5.6% से अधिक नहीं था।

क्षेत्रीय असमानता के संबंध में अन्तर्राव्यीय ग्रोथ डिफरेन्शियल कम हुआ है और अन्तर्राज्यीय असमानता में वृद्धि नहीं हो रही है। पूर्व की अपेक्षा यूपीए (संप्रग) के शासनकाल के दौरान तथाकथित बीमारू राज्यों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। शिक्षा और कौशल के विकास के क्षेत्र में भी संप्रग की उपलब्ध्यिाँ वास्तव में उल्लेखनीय

हैं। समग्रता और सशक्तता को बढ़ावा देने के मुख्य साधन शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास हैं। प्राथमिक विद्यालयों में दाखिले लगभग शत प्रतिशत रहे है और मजदूर वर्ग के विद्यालय में औसत वर्षों में निरतंर वृद्धि हुई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यूपीए की एक प्रमुख उपलब्धि है।

महोदया उच्च शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय विश्वविद्यालनयों में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। उनकी संख्या 2004-05 में 17 थी जो अब 44 हो गई है। आई.आई.टी. की संख्या 7 से बढ़कर 16 हो गई है। आई.आई.एम. की संख्या 6 से बढ़कर 13 हो गई है। भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की संख्या 1 से 5 हो गई है। भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या 2 से बढ़कर 4 हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों ने दाखिला लिया यह 2006-07 में 12.3% थी जो बढ़कर 2011-12 से 18 प्रतिशत हो गई है।

महोदया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने स्वास्थ्य के मामले में अच्छी शुरूआत की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यूपीए का एक बहुत था कदम है जिससे 34 करोड़ परिवारों को अस्पताल के भीतर रह कर चिकित्सा लाभ मिलता है। शिशु मृत्यु दर 58 से घटकर 44 हो गई है। मातृ मृत्यु दर 254 से कम हो कर 212 हुई है। वर्ष 2000-01 में जन्म के समय जीवन की उम्मीद 62.5 वर्ष होती थी 2010-11 में यह बढ़कर 66 वर्ष हो गई है। इसी तरह, साक्षरता दर 64.8% फीसदी से बढ़कर 74 फीसदी हो गई है। मृत्यु दर 8.4 फीसदी से घटकर 7.1 फीसदी हो गई है।

महोदया, यह मेरा मामला नहीं है कि हमने जो लक्ष्य प्राप्त किया है वह अधिकतम हैं। मैं यह मानता हूँ कि विकास के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। तभी इसमें गति आयेगी। हमें इसके लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरंत है; पर्यावरण सुरक्षा उपायों को अत्यधिक दृढ़ता से अपनाए जाने की आवश्यकता है। किन्तु, मैं आदरपूर्वक इस सम्मानित सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हासिल किया गया है उसे कम नहीं आँका जाना चाहिए, जैसा कि श्री राजनाथ सिंह जी ने बताने की कोशिश की है।

मैं जानता हूँ कि यूपीए की आर्थिक और सामाजिक नीति के प्रति भाजपा का एक विशेष दृष्टिकोण है। कुछ दिन पहले भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की एक गुप्त बैठक दिल्ली में हुई थी जहां मेरे सहित कांग्रेस संगठन और कांग्रेस नेतृत्व को जी भरकर खरी खोटी सुनाई गई। मेरा इरादा उन्हें उसी भाषा में जवाब दने का नहीं है क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमने जो हासिल किया है उसकी बेहतर परख हमारा कार्य और निष्पादन है। एक कवि ने कहा है:-

[हिन्दी]

''हम को उनसे वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है''

[अनुवाद]

महोदया, एक लोकोक्ति भी है।

[हिन्दी]

''जो गरजते हैं वो बरसते नहीं।''

[अनुवाद]

हमने यह गुस्ताखी कोई पहली बार नहीं देखी है। वर्ष 2004 के शाइनिंग इंडिया अभियान का परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। वर्ष 2009 में उसने एक शरीफ इंसान, जो मनमोहन सिंह जी हैं, के खिलाफ लौहपुरूष आडवाणी जी को उतारा था, और हम सभी जानते हैं कि परिणाम क्या रहा। मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि यदि भारत के लोग इन नौ दस वर्षों में हमारे रिकॉर्ड को देखेंगे तो फिर वो वही करेंगे जो उन्होंने वर्ष 2004 और 2009 में किया था।

महोदया, कई माननीय सदस्यों ने कृषि के हालात पर चिंता जताई है। मैं भी चिन्ता व्यक्त करता हूँ। हमारे देश में किसानों की महता सब से अधिक है जिसकी परवाह यूपीए सरकार करती है। हमने अपने किसानों को लाभकारी मूल्य देने का भरसक प्रयत्न किया है, और यहां मैं साहस के साथ कहना चाहता हूँ कि गेहूँ, चावल और अन्य कृषि उत्पादों के मूल्य जिस तरह बढ़ाए गए हैं वैसा इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री शरद यादव जी, उन्होंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। कृपया बैठ जाइए।

डॉ. मनमोहन सिंह : माननीय सदस्यों की कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता संबंधी चिन्ता से मैं सहमत हूँ। वह हमारी प्राथमिकता रही है। हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारे किसानों की खाद्यान्न के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भनर बनाने की उपलब्धि सचमुच में असाधारण है। वे प्रतिकूल की स्थितियों में कड़ी मेहनत करते है और वे सभी संभव सहायता के हकदार हैं।

यही कारण है कि हमने इतना अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है जितना पहले कभी नहीं हुआ है। यदि आप विभिन्न जिंसों के मामले में इन मूल्यों को देखेंगे तो सरकार ने इन्हें वर्ष 2004-05 से 50 से 200 फीसदी तक बढ़ा दिया है। वर्ष 2004 से गेंहूँ और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य दुगुने से भी ज्यादा कर दिए है। कृषि क्षेत्र में क्रेन्ड्रिट फलो वर्ष 2003-04 से लगभग 500 फीसदी बढ़ गया है। इस क्षेत्र के लिए 12वीं योजना में आवंटन 11वीं योजना में आवंटन की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा किया गया है।

महोदया, हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और हमारी नीतियों का ही परिणाम है कि कृषि और इसके सहायक क्षेत्र में औसतन वार्षिक विकास दर जो नौवीं और दसवीं योजना के दौरान क्रमश: 2.4 और 2.5 फीसदी दर रूकी हुई थी, इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2009 में देशव्यापी पूखे की स्थिति आई थी, 11वीं योजना के दौरान बढ़कर 3.7 फीसदी हो गई।

यही सच है कि वर्ष 2012-13 के दौरान कृषि क्षेत्र की विकास दर, फिलहाल 1.8 फीसदी रहने का अनुमान है। किन्तु, खरीफ मौसम के उत्तराई के दौरान मानसून के फिर से गति पकड़ने और मौसम की अनुकूल स्थिति के कारण रबी की बेहत फसल की संभावनाओं से मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष के दौरान वार्षिक विकास की दर उस आँकड़ों से कही अधिक रहेगी जिसका मैंने उल्लेख किया है।

सुरक्षित भंडारण क्षमता की कमी से निपटने करने के लिए सरकार ने वर्ष 2008 में निजी सौकदद्म गांरटी योजना बनाई थी। इस योजना के तहत 181 लाख मीट्रिक टन की क्षमता स्वीकृत की गई है। जिनमें 43 लाख मीट्रिक टन की क्षमता पहले की स्वीकृत की जा चुकी है।

महोदया, एक मुद्दा जो मुख्य रूप से इस वाद-विवाद में सामने नहीं आया, किन्तु मैं उसे बताना चाहता हूँ कि वह जल का मुद्दा है। श्री देवेगौडा जी ने इस समस्या को अपने तरीके से उद्धत किया था। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ अन्तर्राज्यीय नदियों के जल के बांटवारे की एक राष्ट्रीय समस्या है, और मैं आशा करता हूँ कि यह देश इस समस्या को व्यापक परिप्रेक्ष्य में सुलझाने की दिशा में अत्याधिक महत्व देगा।

यूपीए सरकार जल संसाधनों के प्रबंधन को एक बड़ी चुनौती के रूप में लेती है। श्रीमती सुप्रिया सुले ने चेक डैमों के निर्माण को अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता को बताया है। हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को संशोधित कर इसे और अधिक प्रभावी बनाने और वाटरशेड डेपलपमेन्ट प्रोग्राम का विस्तार करने का निर्णय पहले ही ले चुके है। कृषि के अलावा शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में भी जल की मांग की और अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन की जरूरत है। हमारे भू-जल संसाधनों को बेहतर ढंग से संरक्षित करने की जरूतर है। हम शीघ्र ही एक नया भू-जल कानून और एक नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ संबंधी प्रस्ताव लाने वाले हैं।

महोदया, कई माननीय सदस्यों ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की वारदातों पर पार्टी लाइन से अलग हटकर चिन्ता व्यक्त की है। यह एक ऐसा मसला हैं जो हमारे इस सदन के सभी लोगों को एक मंच पर ला देता है और मैं सदन के सभी लोगों सें एक स्वर में बोलने की जोरदार अपील करता हूँ। यदि कोई ऐसा विधायी उपाय है। जिस पर हम सभी सहमत हो सके तो उसे संसद के जरिए विधान का रूप देने के समय सामान्य गति से करने के बजाय उसे अत्यधिक तेज गति से किया जा सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस विषय पर एक स्वर से आगे बढ़ने पर सहमत होंगे जिसमें भारत की 50 फीसदी आबादी जिसमें हमारी महिलाएँ और बच्चे आते है, को निश्चय ही न्याय मिलेगा।

मैं इस सम्मानित सदन में अपने देश की प्रत्येक महिला की गारिमा, संरक्षरण और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी सरकारी की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूँ। हमने कई उपाायों - विधायी, संस्थागत और प्रक्रियात्मक - को अपना पार्ट जिनसे इस दिशा में इस सरकार की सामूहिक जवाब देही सुदृढ़ होती है जिससे कि अधिक से अधिक महिलाओं का सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश हो सके। सरकार महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के अपराधों से निपटने के लिए

कानून में संशोधन करते हुए व उसे सख्त बनाते हुए एक अध्यादेश लाकर न्यायमूर्ति वर्मां समिति की सिफारिश पर तत्परता से अमल किया है। मुझे प्रसन्नता है कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबेध और प्रतितोष) विधेयक 2012 संसद पिछले सप्ताह पारित किया गया था।

बलात्कार और यौन हिंसा पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा समर्थन सेवाओं के माध्यम से प्रव्यवस्थापनीय न्याय प्रदान करने के लिए हमारी अनेक योजनाएं है राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन हिंसा की पीड़ित/जीवित बच गई। महिलाओं के लिए सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए 100 जिलों के सरकारी अस्पतालों में ''वनस्टांप क्राइसिस सेन्टर'' चलाएगा।

महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए एक नई अम्ब्रेला योजना ओर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में महिलाओं के लिए 24×7 टॉल फ्री हेल्पलाइन विचाराधीन है।

सरकार का विनिश्चय वित्त मंत्री के बजट भाषण में महिला और बाल विकास मंत्रालय की लिंग भेद के मुद्दों को सुधारने के लिए 200 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित 1000 करोड़ का 'निर्भया कोष' इस बात का प्रमाण है हि हमारी सरकार बालिकाओं और महिलाओं के साथ खड़ी है और उन्हें सुरक्षित रखना चाहती है। तथापि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति वास्तविक तथा प्रभावी परिवर्तन सभी आ सकता है यदि हमारे सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आता है। हमें इस लक्ष्य की ओर मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया कुछ सदस्यों ने अल्पसंख्यकों में गरीबों के जीवन स्तर की सुधारने की लिए सच्चर समिति की रिपोर्ट को लागू करने की आवयश्कता पर बल दिया है। सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत की थी। सरकार ने समिति द्वारा की गई 76 सिफारिशों में से 72 को स्वीकार कर लिया है। अधिकांश सिफारिशी को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. शिक्षा 2. ऋण तक पहुँच 3. वक्फ और 4. विशेष विकास पहले। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है...*(व्यवधान)*

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्कों के लिए तीन छात्रवृत्तियाँ और एक फैलोशिप योजना चलाता है...*(व्यवधान)* ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को इन योजनाओं से लाभ हुआ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अन्य कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डॉ. मनमोहन सिंह : वर्ष 2012-13 में कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लगभग 15% का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा उठाया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने लगभग 5 लाख मुसलमान लाभार्थियों को कुल 1100 करोड़ रूपए से अधिक का ऋण वितरित किया है। वक्फ (संशोधन) विधेयक; 2010 को केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और इसे संसद के चालू सत्र के दौरान पुर:स्थापित किया जाएगा। मुझे सभा को यह सूचना देते हुए भी हर्ष है कि राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम की रूप रेखा को निकट भविष्य में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अल्पसंख्यक बहुत पहचाने गए 90 पिछड़े जिलों मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था और अब इसे खंड स्तर पर संकेन्द्रित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। इस हेतु फरवरी 2013 तक राज्य सरकारों को 3400 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी...*(व्यवधान)* इसके अलावा, संबंधित सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों के विकास हेतु परिव्यय का कम से कम 15% प्रदान करेंगे।

महोदया सुशासन सरकार के कार्यक्रमों के लाभ हमारे लोगों तक पहुँचाने के लिए अनिवार्य शर्त है। इस संबंध में मैं शासन में अधिक पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, समेकन और उत्तरदायित्व लाने हेतु हमारी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहूँगा। इस संबंध में प्रस्तावित विधानों को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध है विशेषत: लोकपाल विधेयक, सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक और विदेशी लोक पदधारी और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक जो पहले से ही संसद में पुर:स्थापित किए जा चुके है। मैं चाहूँगा कि सभा के सभी सदस्य इन लम्बित विधेयकों के शीघ्र पारित होने के लिए सहयोग करें।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डॉ. मनमोहन सिंह]

अध्यक्ष महोदया, श्री मुलायम सिंह यादव ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है और इसे बंद करने का सुझाव दिया है। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि यह योजना ज़ो राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है संकट के समय में बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

इन उपायों में ग्राम सभाओं के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा, महत्वपूर्ण जानकारी को पब्लिक डोमेन में डालना, बैंको तथा डाकघरों के माधयम से मजदूरी दिया जाना, ग्राम पंचायत स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस द्वारा लेखा परीक्षा? शिकायते दूर करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ तैयार करना और राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों हेतु दिशा निर्देश जारी करना शामिल हैं। राज्यों को योजना के तहत जिलों मे शिकायतों के निपटान के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति करने को कहा गया है।

सरकार भी मरनेगा सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का मूल्यांकन करने हेतु तत्काल मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना करने का विचार कर रही है। ताकि कार्यक्रम को बीच में सुधारा जा सके। इस महत्वपूर्ण योजना में उच्चतम स्तर पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ कार्य करने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं।

महोदया, वर्ष 2004 से, जब से यूपीए सत्ता में आई है, जहां तक संभव हो, हमने भारत का स्वरूप बदलने के प्रमुख कार्य के अनुरूप एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने और उसे प्रोत्सहित करने प्रयत्न किया हैं। इस कार्य में हमने मौजूदा अवसरों का उपयोग करते हुए, भारत पर लगे प्रतिबंधों और अड़चने को हटाते हुए भारत के विकास में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्य शाक्तियों के साथ सहयोग तथा शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए भारत के हितो को आगे बढ़ाने का कार्य किया है।

मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले नौ वर्षों में विश्व में हमारा स्थान ऊंचा उठा है और अपने हितों की ओर ध्यान देने में हमारी समर्थता भी बढ़ी है। आतंकवाद जैसी हमारी चुनौतियों पर अब बेहतर अंतर्राष्ट्रीय समझ बनी है और वैश्विक राजनीति, आर्थिक तथा सुरक्षा संरचना परिषद में भारत को उचित स्थान बदलले की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति भी बढ़ रही है। हमने अति महत्वपूर्ण मुद्दों तथा व्यापार और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बातचीत में अपने हितों को सुरक्षित किया है। हमने बाजार, पूंजी, ऊर्जा, खनिज और अग्रिम प्रौद्योगिकी में अपनी पहुंच बढ़ाई है।

जब हमने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और आर्थिक संकटों जैसी चुनौतियों का सामना किया, हमने काफी हद तक भारत पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को सफलतापूर्वक कम किया है। हमने व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक बातचीत में अपने हितों को सुरक्षित किया है। हमने बाजार, पूंजी, ऊर्जा, खनिज और अग्रिम प्रौद्योगिकी में अपनी पहुंच बढ़ाई है।

महोदया, सदस्यों ने श्रीलंका में, संघर्ष के दौरान मानवाधिकारों के हनन, सामजस्य, जवाब देही और राजनीतिक सत्ता के हस्तान्तरण मे प्रगति ने होने के मुद्दों को उठाया है। यह सरकार सदस्यों द्वारा इस संबंध में व्यक्त की गई संवदेनाओं को गंभीरतापूर्वक लेती है। हमारा इस बारे में दृढ़ मत है है कि श्रीलंका में झगड़े मिटाने और राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण को शीघ्रता से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरूम्बदूर) : पिछले तीन वर्षों से, आपकी सरकार चुप्पी साधे हुए है। पिछले तीन वर्षों से, आपकी सरकार ने दुलमुल रवैया अपना रखा है। यह अच्छा नहीं है।

डॉ. मनमोहन सिंह : हमने श्रीलंका की सरकार से 13 वे संशोधन के कार्यान्वयन की सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने तथा इस पर आगे बढ़ने के लिए लगातार बातचीत की है ताकि एक अर्थपूर्ण राजनीतिक समझौते को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। हमने यही भी आग्रह किया है कि उत्तरी प्रांतीय परिषद् के चुनाव जल्द से जल्द हो और हमने लेसन्स् लर्न्ट और रिकंसिलिएशन कमिशन रिपोर्ट में निहित रचनात्मक सिफारिशों के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए भी अनुरोध किया है। महोदया, यह वही संदेश भी था, जिसे मैंने श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे के भारत में 9 सितंबर 2012 के दौरे के दौरान, बढ़ाया था। हम श्रीलंका की सरकार के साथ इन कदमों के कार्यान्वयन और मेल-मिलाप तथा समझौते की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए लगातार जुड़े रहेंगे।

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् के आगामी सत्र में यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा रखे जाने वाले प्रारूप संकल्प के मुद्दे के संबंध में हमारा निर्णय परिषद् में रखे गए अंतिम विषयवस्तु पर निर्भर करेगा। तथापि हम अपनी इस बात पर कायम रहेंगे। कि हम ऐसे प्रस्तावों का समर्थन करेंगे जो श्रीलंका में तमिल समुदाय का भविष्य तय करेगा जिसमें तमिलों के लिए समानता, गरिमा, न्याय और स्वाभिमान निहित है। हम ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार तमिलों समस्या के स्थाई समझौते के प्रवर्तन जो श्रीलंका के तम्लि नागरिकों को गरिमा, स्वाभिमान और समानता के अधिकार के साथ जीने का अवसर दे, के लिए श्रीलंका की सरकार के साथ लगातार प्रयासरत रहेंगी। मैं सदस्यों को यह भी आश्वासन देता हूँ कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों ओर के मछुआरे अपना जीवनयापन सुरक्षित और संपोषणीय तरीके से करें, हमारे मछुआरों के कल्याण और सुरक्षा के बारे में श्रीलंका की सरकार के साथ लगातार प्रयासरत रहेंगे।

मैं, कुछ सदस्यों द्वारा चीन पर व्यक्त की गई उनकी चिंताओं के बारे में भी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि भारत और चीन दोनों ही बड़े पड़ोसी देश हैं। जिनके बीच सभ्यता के आदान-प्रदान का लंबा इतिहास रहा है। मेरे विचार से, आज विश्व में इतनी जगह है कि दोनों देश अपने विकासात्मक अभिलाषाओं को स्वत: पूरा कर सकते हैं। हालांकि, 1988 से ही हमारे और चीन के बीच सीमा विवाद हैं लेकिन हमने इस मामले के समाधान के लिए और सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए तंत्र विकसित किए हैं। वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री वेन जिआबाओं के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अनुसरणीय सिद्धांतों और राजनीतिक मापदण्डों पर सहमति जताने के पश्चात् आज हमारे विशेष प्रतिनिधि सीमा विवाद सुलझाने की रूप रेखा पर चर्चा कर रहे हैं। सदस्यों को यह समझना होगा कि यह एक जटिल और संवदेनशील विषय है और इसका हल निकालने में समय लग सकता है। इस विवाद को लंबित रखते हुए दोनों ही पक्ष यथास्थिति बनाए रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति व अमन-चैन कायम रखने के प्रति वचन-बद्ध हैं। गत वर्ष हमारे दोनों ही देशों में यह सुनिश्चित करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई थी। हम लोग भी इस बात से सहमत थे कि सीमा संबंधी विवाद आपसी हितों के सहयोग में आड़े नहीं आने चाहिए।

कई क्षेत्रीय और भू-मंडलीय विषयों के मामले में चीन के साथ सामान्य विकास और आपसी हितों के अवसरों की तलाश करते हुए हम परिपक्वता से उनके साथ अपने समग्र संबंधों को बनाए रखेंगे। चीन के नए नेताओं ने हमारे मध्य राजनीतिक संवाद को सुदृढ़ करने और हमारे संबंधों का बेहतर भविष्य तलाशने के लिए मुझसे अपनी इच्छा जताई है। यह हमारी सरकार का लक्ष्य भी है। हमें इस बदले हुए चीन को राष्ट्रीय सहमति की भावना में विश्वापूर्वक व रचनात्मक रूप से में लेना चाहिए।

महोदया, कुछ माननीय सदस्यों ने ब्रहमपुत्र नदी के सीधे ऊपरी भागों पर बांध बनाने की चीन की गतिविधियों का उल्लेख किया। हम यह सुनिश्चित करने राजनयिक सहभागिता व वार्ता का प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं कि इन गतिविधियों जो चीन के क्षेत्र में हो रही हैं, से हमारे लोगों के जीवन और हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। हमने इस चिन्ताओं को चीन के साथ प्रत्येक स्तर पर उठाया है और इसके परिणास्वरूप सीमा पार से बहने वाली नदियों के मामले में चीन के साथ वार्ता और सहयोग शुरु कर दिए हैं। हाल के उन रिपोर्टों के मामले में जिनमें यह बताया गया है कि ब्रहमपुत्र के सीधे ऊपरी भागों में नए बाँध बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है, चीन ने हमें औपचारिक रूप से आश्वस्त किया कि वे सभी रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाएँ है और उनसे जल संग्रहण नहीं होगा। इस संबंध में हम अपने-अपने स्रोतों से भी उक्त कार्रवाई के बारे में स्वयं को आश्वस्त करते रहेंगे। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूँ कि हम भारत की सीमा या कहीं और जगह हो रहे उन सभी घटनाक्रमों पर सतर्क निगाह रखेंगे जिनसे सुरक्षा, एकता और क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित हो सकती हैं और इसका जवाब देने के लिए हम सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

महोदया, मालदीप की स्थिति पर सदन ने चिंता व्यक्त की गई है। भारत हमेशा से एक स्थायी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक मालदीव का पक्षघर रहा है। एक निकट और मित्रवत् पड़ोसी के रूप में भारत मालदीप में फरवरी 2012 में हुए सत्ता के हस्तांतरण के समय से ही वहाँ चल रही राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चिंतित है। हम मालदीप में सभी राजनीतिक ताकतों व हित सुधारकों के निकट सम्पर्क में हैं और बातचीत के माध्यम से उन्हें अपने मामले को सुलझाने के लिए प्रेरित कर रहे है।

[डॉ. मनमोहन सिंह]

मालदीप के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति का चुनाव सितम्बर, 2013 में होगा। भारत मालदीप में राष्ट्रपति का स्वतंत्र, निष्पक्ष व विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए के सभी प्रयास करेगा जिनसे वहाँ निरंतर अमन चैन, स्थायित्व व उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके। हम स्थिति पर निरंतर नजर रखेंगे और मालदीप के साथ अपने संबंधों की मजबूत करने और वहाँ अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान के साथ हमें अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए उसके साथ हमारी वार्ता जारी है यथा द्विपक्षीय सहयोग व व्यक्तिगत सम्पर्क को प्रोत्साहन देना और बकाए मामलों का हल निकालना। व्यापार और व्यक्तिगत सम्पर्क जैसे कुछ मामलों में प्रगति हुई है। किन्तु, जनवरी, 2013 में नियंत्रण रेखा (एल.ओ. सी.) पर दो भारतीय सैनिकों की अमानवीय तरीके से की गई हत्या जैसी घटनाओं से बातचीत के माहौल में कड़वाहट आई और द्विपक्षीय वार्ता की प्रक्रिया पर बादल छा गया है फिर भी, हमें यह देखना है कि पाकिस्तान में आतंकवादी ढाँचे को ध्वस्त करने व नवम्बर, 2008 के मुम्बई आतंकवादी हमले के अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में कितना कुछ ठोस कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य, अच्छे पड़ोसी वाले संबंध - हिंसा के खतरों से मुक्त और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग - हमारे आप सी हित में होंगे। हम भी आशा करते हैं कि पाकिस्तान स्थिति को आगे सामान्य बनाने हेतु अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए कदम उठाएगा।

हमारा हित स्थिर, मजबूत, एकीकृत, लोकतांत्रिक और समृद्ध अफगानिस्तान में ही है जो कि अब आतंकवाद का सुरक्षित पनाहगार नहीं रहा है। जैसा कि अफगानिस्तान के लिए वर्ष 2014 और उससे आगे का समय राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से संक्रमण का दौर है, इसलिए हम वहाँ अमन-चैन बहाल करने और आतंकवाद व उग्रवाद से लड़ने के लिए उन्हें सक्षम बनाने में निरंतर मदद करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों ने भी चर्चा के दौरान राज्य और क्षेत्र विशेष के ढेर सारे मामले उठाए हैं। हालाँकि फिर भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने उन्हें नोट कर लिया है। मैं अपने सहयोगियों को माननीय सदस्यों के संतुष्ट होने तक उनका हल निकालने के लिए गंभीर प्रयास करने की सलाह दे रहा हूँ।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ...*(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : पाकिस्तान में हिन्दुओं की क्या स्थिति है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डॉ. मनमोहन सिंह : महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति के उस सारगर्मित अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्यों में शामिल होना चाहता हूँ जिस मैं सहर्ष स्वीकार करने की संस्तुति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : सदस्यों द्वारा कई संशोधन पेश किए गए हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्षा जी, चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा-

हमको उनसे वफा की है उम्मीद
जो नहीं जानते वफा क्या है।

अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि शायरी का एक अदब होता है। शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का यह उधार एक नहीं दो शेर पढ़कर करना चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : फिर उन पर उधार हो जाएगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।